




## न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 618/2016 बउनवानी रामकरण पुत्र गोपाल यादव बनाम तहसीलदार सवाईमाधोपुर  
निवासी जुवाड तह0 सवाईमाधोपुर  
उप0-1. श्री चरतलाल मीना, वकील अपीलान्त 2. श्री छोटू सिंह गुर्जर पैरोकार राजस्व

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं.सा. अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हूआ
16.5.2017	<p>प्रकरण राजस्व लोक अदालत अभियान: न्याय आपके द्वार, 2017 के तहत सुलह समझौते की भावना से निस्तारण किये जाने चिह्नित होने के कारण यह प्रकरण आज न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है। अपीलान्त स्वयं, वकील अपीलान्त, पैरोकार राजस्व एवं राजस्व लोक अदालत अभियान, 2017 के सदस्यगण उपरिधत है। सुलह समझौते के तहत दौराने सुनवायी वकील अपीलान्त ने कथन किया है कि अदालत मातहत द्वारा मिसल संख्या 312/2013 में ग्राम जुवाड की आराजी ख0न0 1601 रकबा 0.40 है0 ख0न0 1603 रकबा 0.20 है0 किस्म गै0मु0 चरागाह की भूमि में सम्वत् 2069 में सरसों की फसल काशत करना अंकित करते हुये अतिक्रमणी माना है एवं दिनांक 27.2.2013 को आदेश जैर अपील पारित कर 90 दिवस की सिविल कारावास से सजा से दण्डित किया है। किन्तु अपीलान्त द्वारा विवादित अतिक्रमित भूमि पर से अपना अतिक्रमण हटा लेने एवं भविष्य में पुनः अतिक्रमण नही करने के आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है, साथ ही आदेश जैर अपील के तहत अपीलान्त को दी गयी सिविल कारावास की सजा को माफ करने बाबत भी निवेदन किया है, इस सम्बन्ध में पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया है कि यद्यपि अपीलान्त द्वारा विवादित भूमि पर से अतिक्रमण हटा लेने व पुनः अतिक्रमण नही करने के आशय की अन्डर टेकिंग प्रस्तुत कर दी है, किन्तु सिविल कारावास की सजा माफ करने से पूर्व कब्जा हटा लेने बाबत भौतिक सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सिविल कारावास की सजा को सशर्त स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में अपनी और से अनापत्ती प्रस्तुत की गयी।</p> <p>उभयपक्षों को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि पैरोकार द्वारा प्रस्तुत तर्क विधि अनुरूप है, अतः अपील अपीलान्त इस शर्त पर आंशिक स्वीकार की जाती है कि तहसीलदार सवाईमाधोपुर मौके पर जाँच कर यह सुनिश्चित करें कि यदि अपीलान्त द्वारा विवादित भूमि पर से अपना अतिक्रमण हटा लिया हो तो आदेश जैर अपील द्वारा अपीलान्त को दी गयी सिविल कारावास की सजा को माफ समझी जावे एवं यदि अपीलान्त का विवादित भूमि पर अतिक्रमण वर्तमान में भी पाया जाता है तो आदेश जैर अपील यथावत रहेगा। पत्रावली आज दिनांक 16.5.2017 को फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।</p>	
	 श्री जगदीश प्रसाद शर्मा सदस्य राजस्व लोक अदालत	 श्री हनुमान प्रसाद जैन सदस्य राजस्व लोक अदालत
		 (के.सी.वर्मा) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर